भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1898

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

ओडिशा में पीएमएवाई-यू

†1898. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और अधिभोगित कुल आवासों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में छोटे शहरों में कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत आवास इकाइयों सहित पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ओडिशा में भूमि या निधि संबंधी मुद्दों के कारण कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कितनी है;

(घ) शहरी गरीब बस्तियों में आवास निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार की इस योजना को 2026 से आगे बढ़ाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा

और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

यह योजना मांग आधारित है और लाभार्थियों द्वारा चुने जाने वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.26 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें ओडिशा भी शामिल है। इनमें से 112.81 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 14.07.2025 तक देश भर में 93.61 लाख आवास तैयार किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। ओडिशा राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कुल 2,15,339 आवास (पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 11,959 आवासों सहित) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,85,963 आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, और 14.07.2025 तक 1,64,880 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। मंत्रालय को ओडिशा राज्य से भूमि और निधि संबंधी किसी भी प्रकार की देरी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए योजना की प्रगति की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

*****

दिनांक **31-07-2025** को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **1898** के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रमांक संख्या		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	शुरूआत से अब तक आवासों का विवरण (संख्या)			
			स्वीकृत आवास	निर्माणाधीन आवास	पूर्ण आवास	सौंपे गए आवास
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,47,297	18,26,698	10,78,686	9,89,302
2		बिहार	4,45,212	2,96,469	1,89,863	1,89,805
3		छत्तीसगढ़	2,99,922	2,85,392	2,57,171	2,43,419
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	3,145
5		गुजरात	9,93,877	9,72,208	9,41,419	9,02,584
6		हरियाणा	1,30,290	90,636	70,522	70,506
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	12,640	11,381	11,363
8		झारखंड	2,43,421	2,10,640	1,59,751	1,56,291
9		कर्नाटक	5,84,086	5,08,586	3,94,054	3,53,692
10		केरल	1,61,957	1,55,162	1,34,127	1,34,026
11		मध्य प्रदेश	9,66,133	9,45,487	8,68,097	8,55,011
12		महाराष्ट्र	12,49,047	11,49,437	9,93,361	9,18,102
13		ओडिशा	2,15,339	1,85,963	1,64,880	1,59,534
14		पंजाब	1,33,270	1,18,475	97,920	97,618
15		राजस्थान	3,33,815	2,94,639	2,34,698	2,29,363
16		तमिलनाडु	6,70,425	6,69,514	6,07,051	5,58,877
17		तेलंगाना	3,61,755	2,35,023	2,23,627	1,80,755
18		उत्तर प्रदेश	19,75,035	17,59,770	17,02,317	16,68,382
19		उत्तराखंड	63,605	62,793	42,966	39,360
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	6,05,971	4,65,561	4,64,881
उप-योग (राज्य):-			**1,14,05,377**	**1,03,88,649**	**86,40,597**	**82,26,016**

21	उत्तर पूर्व राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,379	8,739	8,068	6,852
22		असम	1,84,991	1,69,101	1,30,425	1,30,425
23		मणिपुर	52,519	49,593	18,397	18,397
24		मेघालय	4,758	4,083	1,995	1,995
25		मिजोरम	39,150	39,101	26,596	26,596
26		नागालैंड	31,067	31,060	29,029	28,997
27		सिक्किम	299	299	219	219
28		त्रिपुरा	90,989	88,416	78,061	78,061
उप-योग (उत्तर पूर्व राज्य) **:-**			**4,17,152**	**3,90,392**	**2,92,790**	**2,91,542**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	376	376	80	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	9,947	9,947	9,450	9,113
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	43,856	42,159	32,091	32,091
34		लद्दाख	1,283	991	882	882
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-
36		पुडुचेरी	16,442	16,050	11,377	11,377
उप-योग (यूटी) :-			**1,03,136**	**1,00,755**	**85,112**	**84,742**
कुल - योग :-			**119.26 Lakh**	**112.81 Lakh***	**93.61 Lakh***	**90.92 Lakh***

* इसमें पूर्ववर्ती योजना से संबंधित पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान निर्माणाधीन, पूर्ण किए गए और सौंपे गए क्रमशः 4.01 लाख, 3.41 लाख और 4.90 लाख आवास शामिल हैं।